

6

विपक्षी का कथन संक्षेप में :-

विपक्षी का दावा है कि प्रश्नगत खाता प्लॉट की जमीन निबधित खाता संख्या-5498 दिनांक 13.06.1964 द्वारा संयुक्त रूप से पुनित कुम्हार एवं खेदन कुम्हार पिता-हुलास कुम्हार के नाम से हासिल है तथा विपक्षी उसी खाता प्लॉट के अंश के रैयत हैं तथा प्रश्नगत भूमि के पूरब चौहद्दी में सुन्दरी देवी है। इस प्रकार विपक्षी -सह-हिस्सेदार एवं पार्श्वती रैयत दोनों है। प्रश्नगत भूमि कृषि भूमि है तथा भूमि पर खेती होती है। विपक्षी के अधिवक्ता का यह भी कहना है कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि के आवासीय होने संबंधी दावा को निम्न न्यायालय में दाखिल कारण पृच्छा में कहीं नहीं उठाया है। अपील में उन बिन्दुओं को उठाया जाना उचित नहीं है। प्रश्नगत भूमि कृषि योग्य भूमि है एवं विपक्षी प्रश्नगत भूमि के सह हिस्सेदार/पार्श्वती रैयत हैं। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत है। अपीलार्थी का दावा खारिज करने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, अभिलेख में सलग्न कागजातों तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि:-

- प्रश्नगत विवादित भूमि निबधित विक्रय पत्र संख्या-6113 दिनांक 17.12.2013 से अपीलार्थी को हासिल है।

- प्रश्नगत विवादित भूमि की चौहद्दी में उ0 रास्ता, एव पश्चिम मेघन गोप का मकान है, जिससे स्पष्ट होता है कि भूमि का वर्तमान स्वरूप आवासीय है। कंवाला में भी भूमि का किस्म बारी आवासीय दर्ज है।

- प्रश्नगत विवादित भू-खण्ड रकबा-8.00 डी0 एक छोटा भू-खण्ड है। सलिंग एक्ट अन्तर्गत Pre-emption का प्रावधान कृषि भूमि को Consolidate करने के उद्देश्य से किया गया है, जो प्रश्नगत भूमि के संबंध में पूरा होता प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित तथ्यों की विवेचना के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रश्नगत भूमि आवासीय किस्म की भूमि है तथा भू-हदबंदी अधिनियम की धारा-16(iii) प्रश्नगत विवादित भूमि पर लागू नहीं होता है। अतएव निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज किया जाता है तथा अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

  
अपर समाहर्ता,  
कोडरमा।

  
अपर समाहर्ता,  
कोडरमा।



Bhu hadbandi



न्यायालय, अपर समाहर्ता, कोडरमा,  
भू-हदबन्दी अपील वाद संख्या-02/2016

-आदेश-

बंशी यादव, पिता-स्व० हुलाश यादव, साकिन-सतडीहा, पो०-सरमाटाड़  
जिला-कोडरमा।

.....अपीलार्थी

- बनाम -

सुन्दरी देवी, पति-श्री दुर्गा कुम्हार, साकिन-सतडीहा, पो०-सरमाटाड़  
जिला-कोडरमा।

.....विपक्षी

07-04-2017

यह भू-हदबन्दी अपील वाद अपीलार्थी द्वारा भू-हदबन्दी अधिनियम की धारा-16(3)(1) अन्तर्गत न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, कोडरमा के भू-हदबन्दी वाद संख्या-01/2014 (सुन्दरी देवी बनाम बंशी यादव एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 04.08.2016 के विरुद्ध अधिवक्ता के माध्यम से दायर किया गया। इस वाद से संबंधित विवादित भूमि, बंशी यादव (अपीलार्थी) द्वारा द्रोपती देवी, पति-रामचन्द्र पंडित एवं मसो० सोरैया, पति-स्व० लाखो पंडित निबंधित विक्रय पत्र संख्या-6113 दिनांक 17.12.2013 के माध्यम से खरीद किया गया है। विवादित भूमि विवरणी निम्नवत् है -

अंचल	मौजा	थाना	खाता	प्लॉट	रकबा
जयनगर	सतडीहा	जयनगर	73	1508	8.00 डी०

प्रश्नगत केवाला में अकित चौहद्दी उ०-रास्ता (पी०सी०सी०), द०-विक्रेता, पू०-सुन्दरी देवी, प०-मकान मेघन गोप वगैरह

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रविष्टि के बिन्दु पर सुना एवं उनके द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया गया तथा वाद प्रविष्टि करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। तदुपरान्त विपक्षी द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से कारण-पृच्छा दाखिल किया गया। निम्न न्यायालय से संबंधित अभिलेख प्राप्त किया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं उनके द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलार्थी का कथन संक्षिप्त में :-

प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी द्वारा निबंधित विक्रय पत्र संख्या-6113 दिनांक 17.12.2013 से खरीद किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि सह हिस्सेदार का अर्थ है, खतियानी भूमि के रैयत, जबकि विपक्षी खतियानी रैयत के वश में नहीं है, विपक्षी भी एक खरिदार हैं तथा प्रश्नगत भूमि के पूरब चौहद्दी में है। प्रश्नगत भूमि के उत्तर चौहद्दी में पी०सी०सी० रास्ता एवं पश्चिम चौहद्दी में मेघन गोप का मकान है तथा भूमि का किस्म आवासीय है। अपीलार्थी द्वारा भूमि मकान बनाने के उद्देश्य से खरीदा गया है। प्रश्नगत भूमि कृषि भूमि नहीं है, जैसा की चौहद्दी से भी स्पष्ट है। केवाला में भी भूमि का किस्म बारी आवासीय दर्ज है। भू-हदबन्दी अधिनियम की धारा-16(3) प्रश्नगत भूमि पर लागू नहीं होता है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय संगत नहीं है।



Bhu hadbandi

9